रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2688] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 15, 2015/अग्रहायण 24, 1937
No. 2688] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 15, 2015/AGRAHAYANA 24, 1937

mutiacode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3386(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, अरुणाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, अरुणाचल प्रदेश कहा गया है) गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :--

(क) डॉ. योगेश, भारतीय वन सेवा (सेवानिवृत्त) —अध्यक्ष
पुत्र स्व. श्री आर. एस. वर्मा,
टीचर कालोनी, स्ट्रीट नं. 2,
विक्रय कर कार्यालय के सामने,
करनाल रोड, शामली- 247776

(ख) डॉ. अजय भारती, —सदस्य
सह-आचार्य,
पर्यावरण इंजीनियरी विभाग,
एन.ई.आर.आई.एस.टी. निर्जुली-791109

(ग) निदेशक, (पर्यावरण) —सदस्य सचिव
पी.सी.सी.एफ. और प्रधान सचिव,
पर्यावरण और वन का कार्यालय,
अरुणाचल प्रदेश सरकार

2. प्राधिकरण, अरुणाचल प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

3. प्राधिकरण, अरुणाचल प्रदेश ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगी जो उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट हो ।

4. प्राधिकरण, अरुणाचल प्रदेश का विनिश्चय राज्य के लिए पैरा 5 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर आधारित होगा ।

5. प्राधिकरण, अरुणाचल प्रदेश की सहायता करने के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार अरुणाचल प्रदेश सरकार से परामर्श करके, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, अरुणाचल प्रदेश का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :--

(i)	आचार्य सरोज कांता बारिक वनस्पति विज्ञान विभाग, पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय (एनईएचयू) शिलांग - 793022	—अध्यक्ष
(ii)	डॉ. चमनलाल शर्मा आचार्य, वानिकी विभाग एन.ई.आर.आई.एस.टी. (सम विश्वविद्यालय), निर्जुली - 791109	—सदस्य
(iii)	डॉ. प्रसन्ना के. समाल, भारसाधक वैज्ञानिक, जी. बी. पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान, पूर्वोत्तर यूनिट, ईटानगर	—सदस्य
(iv)	डॉ. हुई टैग सह-आचार्य (स्टेज –III), वनस्पति विज्ञान विभाग, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स, दोईमुख- 791112	—सदस्य
(v)	सदस्य-सचिव, अरुणाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, (ए.पी.एस.पी.सी.बी.)	—सचिव

6. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, अरुणाचल प्रदेश का अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

7. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, अरुणाचल प्रदेश ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं ।

8. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, अरुणाचल प्रदेश सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति से पर पहुंचने का प्रयास करेगा, और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जाता है तो बहुमत का अभिमत अभिभावी होगा ।

9. अरुणाचल प्रदेश सरकार, प्राधिकरण, अरुणाचल प्रदेश तथा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, अरुणाचल प्रदेश के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने हेतु एक अभिकरण अधिसूचित करेगी और सभी वित्तीय तथा संभारतंत्रीय सहायता, जिसके अंतर्गत आवास परिवहन भी है और अपने सभी कानूनी कृत्यों की बावत ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी ।

IndiaCode

10. अरुणाचल प्रदेश, प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों तथा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, अरुणाचल प्रदेश को बैठक की फीस, यात्रा भत्ते, महंगाई भत्ते, अरुणाचल प्रदेश सरकार के संबंधित नियमों के अनुसार संदत्त किए जाएंगे ।

[सं. जे-11013/16/2008-1ए. II(1)]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2015

S.O. 3386(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Arunachal Pradesh (hereinafter referred to as the Authority for Arunachal Pradesh) comprising of the following members, namely: -

(a)	Dr. Yogesh, IFS (Retired.) S/o Late R. S. Verma Teacher Colony, Street No. 2, Opposite to Sale Tax Office, Karnal Road, Shamli-247776.	—Chairman;
(b)	Dr. Ajay Bharti Associate Professor, Department of Environmental Engineering, NERIST, Nirjuli-791109.	—Member;
(c)	Director (Environment), O/o PCCF & Principal Secretary (Environment and Forest), Government of Arunachal Pradesh	—Member Secretary.

2. The Chairman and non-official member of the Authority for Arunachal Pradesh shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority for Arunachal Pradesh shall exercise such powers and follow the procedures as specified in the said notification.

4. The Authority for Arunachal Pradesh shall base its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 5 for the State of Arunachal Pradesh.

5. For the purposes of assisting the Authority for Arunachal Pradesh, the Central Government, in consultation with the Government of Arunachal Pradesh, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee, Arunachal Pradesh comprising of the following members, namely :-

(i)	Prof. Saroj Kanta Barik Department of Botany, North Eastern Hill University (NEHU), Shillong – 793022.	—Chairman;
(ii)	Dr. Chaman Lal Sharma Professor, Department of Forestry, NERIST (Deemed University), Nirjuli – 791109.	—Member;
(iii)	Dr. Prassanna K. Samal Scientist in- Charge, GB Pant Institute of Himalayan Environment, North East Unit, Itanagar.	—Member;

IndiaCode

(iv)	Dr. Hui Tag, Assistant Professor (Stage –III), Department of Botany, Rajiv Gandhi University Rono Hills, Doimukh – 791112.	—Member;
(v)	Member Secretary, Arunachal Pradesh State Pollution Control Board (APSPCB).	—Secretary.

6. The Chairman and Members of State Level Expert Appraisal Committee, Arunachal Pradesh shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The State Level Expert Appraisal Committee, Arunachal Pradesh shall exercise such powers and follow the procedures as specified in the said notification.

8. The State Level Expert Appraisal Committee, Arunachal Pradesh shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

9. The Government of Arunachal Pradesh shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority for Arunachal Pradesh and the State Level Expert Appraisal Committee, Arunachal Pradesh, and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions.

10. The sitting fee, travelling allowance and dearness allowance to the Chairman and Members of the Authority for Arunachal Pradesh and the Chairman and Members of the State Level Expert Appraisal Committee, Arunachal Pradesh shall be paid in accordance with the concerned rules of the Government of Arunachal Pradesh.

[No. J-11013/ 16/ 2008- IA. II (I)]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.